जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
94/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुन्तकिली प्रकरण सं0 94/2016 अनवानी श्री उग्रसेन पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी बींझवायला तह0 पदमपुर बनाम 1–गिरधारी पुत्र गुरदयाल जाति जाट निवासी बींझवायला तह0 पदमपुर 2–महेन्द्र पुत्र गुरदयाल 3– तहसीलदार, पदमपुर

07.02.2017

प्रार्थी श्री उग्रसेन के अभिभाषक श्री इन्द्रपाल सहारण उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित वाद संख्या 108/2016 अनवानी उग्रसेन बनाम गिरधारी आदि मय प्रा0 पत्र धारा 212 आरटीए संख्या 82/2016 अजय ग्रेवाल बनाम गुरिन्द्रपाल सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है और नये उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

344/10-2-17

आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर